

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्राथी : श्री उंकारलाल

बनाम

विपक्षी : श्रीमती कमली व अन्य

केसम् मुकदमा - 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पत्रावली संख्या : 117/21

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 16.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्राथी द्वारा मूल वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थनाग्रस्त भूमि की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने पर सहमती जताई ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड के परिवर्तन से बचा जा सके। अतः उभय पक्षकारान आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता है कि मौजा फुसरिया पटवार हल्का भोपाखेडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की आराजी नम्बर 487/2, 488, 489, 490, 491, 492 किता 6 रकबा 19 बिघा 5 विस्वा भूमि में भू-प्रबन्धन के बाद नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

